

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ
मर्यादित, ग्वालियर
पशु आहार संयंत्र शिवपुरी
दो वर्ष हेतु सुदाना परिवहन
दर ई-निविदा

(इकाई-ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर)

दूरभाष क्र० 9406900751

E- mail : cffshivpuri@gmail.com

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर पशु आहार संयंत्र शिवपुरी

-: निविदा प्रपत्र संबंधी जानकारी :-

सुदाना परिवहन

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर पशु आहार संयंत्र शिवपुरी से सुदाना विभिन्न स्थानों हेतु परिवहनदरें ई-निविदा के माध्यम से आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र कय प्रारम्भ दिनांक/समय :	12-03-2025 12:30	निविदा प्रपत्र कय समाप्ति दिनांक/समय :	03-04-2025 12:30
निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक/समय	03-04-2025 14:30	निविदा प्रपत्र - अमानत जमा प्रपत्र लिफाफा -A खोलने की दिनांक/समय	03-04-2025 14:30
निविदा प्रपत्र -लिफाफा -B खोलने की दिनांक/समय	03-04-2025 15:30	निविदा प्रपत्र -लिफाफा -C खोलने की दिनांक/समय	03-04-2025 15:30

- निविदा खोलने का स्थान :-ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या,गोला का मंदिर ग्वालियर (म.प्र.)
- निविदा प्रपत्र की कीमत :- रुपये 1000/- (रुपये एक हजार मात्र)
- EMD :- रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र)
- बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के पक्ष में ग्वालियर को देय हो एवं स्केनकर आनलाईन निविदा में अपलोड करना होगा। एवं मूल बैंक ड्राफ्ट दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें।
- Security Deposit :- रुपये 100000/- (रुपये एक लाख मात्र)

!! निविदा की सामान्य शर्तें!!

1. पशु आहार परिवहन निविदा की दरें ई-निविदा के माध्यम से ऑनलाईन स्वीकार होगी।
2. निविदा प्रपत्र में वांछित जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित की जावे। पशु आहार संयंत्र शिवपुरी, से विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु परिवहन की दरें अंको के साथ-साथ अक्षरों में भी भरी जावे।
3. विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु दी जाने वाली निविदा दरें "रूपया प्रति मै.टन" (One Way दरें) प्रपत्र में दर्शाये गये स्थानों के लिए देय होगी।
4. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात प्रभारी महाप्रबंधक, पशु आहार संयंत्र शिवपुरी के निर्देशानुसार अपना कार्य प्रारंभ करना होगा। साधारणतः संयंत्र से ट्रक में पशु आहार भरने का समय कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहता है इसके पश्चात् ट्रक अगले दिन ही भरे जायेंगे।
5. अनुबंध पत्र (इकरार नामा) निष्पादित करने के पूर्व निविदाकार द्वारा अमानत राशि (सिक्यूरिटी डिपॉजिट) के मद में रूपये 1,00,000 (रूपये एक लाख मात्र) जमा करना आवेक होगा जिस पर ब्याज देय नहीं होगा।
6. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) **ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित** को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. निविदा अस्वीकृत होने पर अर्नेस्ट मनी की वापसी का आवेदन जमा रसीद की मूल प्रति के साथ प्राप्त होने पर सामान्यतः 30 दिनों पश्चात् वापस की जा सकेगी।
8. पूर्व में जिन ठेकेदारों द्वारा दुग्ध भीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों पर सुदाना परिवहन कार्य सम्पादित किया जा रहा है। उन्हें अलग से दोबारा अमानत राशि जमा करनी होगी पूर्व की राशि किसी भी दशा में समायोजित नहीं की जावेगी।
9. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह समझा जावेगा कि निविदाकार द्वारा विभिन्न जानकारियों तथा अनुबंध की भातों का अध्ययन कर लिया है तथा वे इससे सहमत हैं। निविदाकार द्वारा यदि निविदा में अन्य कोई भात लगाई जाती है तो प्रस्तुत निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
10. ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ के पूर्व के परिवहनकर्ता जिनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा है। उनकी निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

पशु आहार संयंत्र शिवपुरी

(इकाई: ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर म.प्र.)

:- पशु आहार परिवहन की शर्त:-

1. यदि विशेष परिस्थितियों में पशु आहार भीत केन्द्रो/दुग्ध समितियों पर तत्काल भेजा जाना है तो उपरोक्त दर्शित समय के उपरान्त प्रबंधन से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही वाहन लोड किया जा सकेगा। किसी भी दुग्ध भीत केन्द्र/दुग्ध समितियों पर अवकाश के दिन या समयावधि के पश्चात् (शाम 05 बजे के बाद) पशु आहार प्रदाय करने के लिये परिवहनकर्ता का चयन करने का सर्वाधिकार प्रभारी पशु आहार संयंत्र के पास सुरक्षित रहेगा एवं लिया गया निर्णय मान्य होगा।
2. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् परिवहनकर्ता को या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को अगले दिन के लिये परिवहन कार्यादेश प्रातः 11:00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिदिन जो वाहन भेजा जावेगा उसके साथ वह स्वयं या उसके प्रतिनिधि वाहन के साथ आयेगें। ट्रान्सपोर्ट की स्लीप जिस पर गंतव्य स्थान गाड़ी का नम्बर एवं मात्रा अंकित कर सुरक्षा भाखा में जाकर मेन गेट पर प्रविष्टीकरण के उपरान्त ही वे ट्रक लेकर भरने के लिये आयेगें। उनका प्रतिनिधि विक्रय विभाग में स्लीप लेकर एवं स्लीप पर अंकित मात्रा में ही पशु आहार की बोरी लोड करायेगें एवं परिवहन ठेकेदार या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि ट्रक लोड होने के उपरान्त कार्यालय के विक्रय भाखा में आकर गेट पास एवं चालान प्राप्ति के बाद सुरक्षा भाखा में गेट पास देकर व हस्ताक्षर कर भरा हुआ वाहन संयंत्र परिसर से बाहर ले जावेगें। किसी भी स्थिति में भरा हुआ वाहन लोड होने के पश्चात् खड़ा नहीं किया जावेगा। यदि गाड़ी में अधिक या कम लोड करते पाये जाते हैं तो उसकी जवाबदारी परिवहनकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की होगी एवं परिवहन ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी परिवहनकर्ता का कोई भी ट्रक ड्रायवर एवं क्लीनर संयंत्र के गोदाम के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा।
3. यदि परिवहनकर्ता स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि प्रातः 11:00 बजे तक लिखित में कार्यनिर्देश प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में परिवहनकर्ता पर रु. 1000/- (रु एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा।
4. संयंत्र से वाहन भरने के पश्चात् तुरन्त दुग्ध भीत केन्द्र/ दुग्ध समितियों में रवाना करना होगा। जिसका समय गेट पर प्रविष्टि के दौरान दर्ज होता है। उक्त वाहन को दुग्ध संस्था तक पहुँचने हेतु उतना समय दिया जावेगा जितना समय दुग्ध संस्था तक पहुँचने में लगता है, देरी की दशा में सम्पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी।
5. अगर परिवहनकर्ता के वाहन में किसी कारणवश खराबी आ जाती है उसकी सूचना तत्काल कार्यालय के विपणन भाखा के कर्मचारियों/ अधिकारियों को देना है परिवहनकर्ता के वाहन में खराबी का कारण वाहन का स्थान जहाँ वो खड़ा है, एवं कितने समय में वाहन दुग्ध संस्था तक पहुँच जावेगा इसकी जानकारी कार्यालय में देना होगी।
6. परिवहनकर्ता के वाहन का आर.टी.ओ. से सम्बंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेस परमिट आदि लोडिंग दिनांक तक वैध होना आवश्यक है एवं निविदाकर्ता के पास कम से कम स्वयं के नाम के तीन वाहन (ट्रक) होना अनिवार्य है। स्वयं का वाहन नहीं होने पर निविदा अमान्य की जावेगी। निविदाकर्ता उक्त दस्तावेज बंद लिफाफे में निविदा दिनांक को समिति सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करें।

7. परिवहनकर्ता द्वारा जिस वाहन से माल परिवहन किया जा रहा उसके अन्दर का हिस्सा (डाला एवं बाडी) अच्छी हालत में होना चाहिये यदि पशु आहार ट्रक में भरते समय बोरी फटने, कटने की दशा में परिवहनकर्ता को नुकसान का वहन करना होगा।
8. दुग्ध भीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों पर ठेका श्रमिक द्वारा जो श्रमिक कार्य पर रखे जाते हैं उन्ही के द्वारा दुग्ध वाहन से दुग्ध की केन लोडिंग अनलोडिंग की जाती है अतः दुग्ध केन लोडिंग अनलोडिंग के पश्चात् ही उन्ही श्रमिकों से पशु आहार का वाहन खाली किये जावेगें। विलम्ब से पशु आहार अनलोडिंग पर पशु आहार संयंत्र एवं दुग्ध भीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों की जवाबदारी नहीं रहेगी।
9. कार्यनिर्देश प्राप्त होने के 24 घंटे के अन्दर पशु आहार परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध कराकर लोडिंग पश्चात् वाहन रवाना करना होगा। कुछ शीत केन्द्रों/दुग्ध संस्थाओं से पशु आहार की मांग प्राप्त होने के उपरान्त उसी दिन पशु आहार भेजा जाना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में उसी दिन वाहन उपलब्ध कराना जरूरी है। ट्रक उपलब्ध न कराने पर रु. 1000/—(रु. एक हजार मात्र) प्रतिदिन प्रतिस्थान का अर्थदण्ड किया जावेगा। निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पादित न किये जाने की दशा में संघ/संयंत्र द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जा सकती है तथा इस व्यवस्था में अतिशेष भुगतान की राशि ठेकेदार के देयक से वसूली की जावेगी।
10. परिवहन के दौरान मार्ग में किसी भी प्रकार की टूट-फूट, नुकसान, कमी अथवा वर्षा आदि के फलस्वरूप हुई क्षति के लिये ठेकेदार उत्तरदायी माने जावेगें तथा क्षतिपूर्ति की राशि उनके परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।
11. यदि लगातार तीन बार परिवहनकार्य सुपुर्दगी आदेश की प्राप्ति के बाद परिवहन हेतु उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसका ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को रहेगा और यह ठेका किसी अन्य ठेकेदार को दिया जा सकेगा एवं ठेकेदार द्वारा जमा की गई अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
12. दुग्ध भीत केन्द्रों/ दुग्ध समितियों से पशु आहार की मांग निश्चित मात्रा में प्राप्त नहीं होती है, इस कारण किसी माह विशेष में परिवहन किये जाने योग्य पशु आहार की मात्रा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है, एवं मांग के अनुसार परिवहन योग्य पशु आहार की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है।
13. परिवहनकर्ता 1 से 15 तारीख तक के देयक 25 तारीख व 16 से 30/31 तारीख तक देयक 10 तारीख तक पशु आहार संयंत्र शिवपुरी कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगें। जिसका भुगतान कार्यालयीन औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् प्रति माह किया जावेगा, किसी भी परिस्थिति में भुगतान नहीं होने की दशा में देरी अवधि का कोई ब्याज देय नहीं होगा।
14. अनुबंध की अवधि समान्यतः 2 वर्षों की होगी तदापि परिवहनकर्ता का परिवहन कार्य संतोशजनक पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा उन्ही दरों एवं भातों पर एक-एक वर्ष कर दो वर्ष तक अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि की जा सकेगी।
15. गाड़ी की लोडिंग/अनलोडिंग आदि का व्यय ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा।
16. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी परिवहनकर्ता पर होगी। इस कारण संयंत्र को हुई हानि की राशि परिवहनकर्ता के देयक से वसूल की जावेगी।

17. निविदाकर्ता या उसके द्वारा लगाये गये वाहन पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों का व्यवहार संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सुरक्षाअधिकारियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण होना चाहिये।
 18. परिवहनकर्ता द्वारा इस ठेके के किन्ही निबंधनों एवं भारों का पालन न किये जाने अथवा इनका उल्लंघन किये जाने या उनके द्वारा बीच में ही ठेका समाप्त कर देने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में अग्रिम निविदा की पूर्णता तक परिवहन ठेका द्वितीय निविदाकर्ताको देने के फलस्वरूप भोश ठेका अवधि में होने वाली आर्थिक क्षति की राशि परिवहनकर्ता की अमानत राशि एवं लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।
 19. ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ के पूर्व के परिवहनकर्ता जिनका कार्य संतोशजनक नहीं रहा है। उनकी निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
 20. किसी भी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होने चाहिये। किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उस व्यक्ति के हस्ताक्षर आवेक होने चाहिये जिसके पास ऐसा करने के लिये मुख्तार नामा है। इस प्रकार की उक्त फर्म "भारतीय भागीदार अधिनियम" के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
 21. ठेका समाप्त होने पर ठेकादार को अमानत राशि की वापसी हेतु लिखित रूप से आवेदन के साथ जमा रसीद की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ठेकेदार के संयंत्र कार्यालय में जमा अमानत राशि वापस की जा सकेगी। इस राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
 22. अनुबंध अवधि में यदि डीजल की दरों में कमी या वृद्धि होती है, तो दर वृद्धि या कमी की गणना प्रति 9 मै.टन भार के अनुसार की जावेगी।
- | क्रमांक | वाहन का प्रकार | औसत प्रति लीटर |
|---------|----------------|----------------|
| 01 | ट्रक | 04 कि.मी. |
- इस प्रकार औसत प्रति कि.मी पर डीजल वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स आइल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।
23. ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान संयंत्र द्वारा नहीं किया जावेगा।
 24. दुग्ध भीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों सहित अन्य भासकीय संस्थाओं पर सुदाना पशु आहार पहुँचाने के पश्चात् उसकी हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई पावती सुदाना परिवहन देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही परिवहन देयको का भुगतान किया जावेगा। प्रदाय तिथि से 5 दिवस में माल प्राप्ति की रसीद संस्था में प्रस्तुत न करने पर रूपये 500/- प्रति दिन प्रति पावती जुर्माना कर देयक से कटोत्रा किया जावेगा।
 25. परिवहनकर्ता के देयको से भासन के नियमानुसार आयकर एवं अन्य समस्त करों का कटोत्रा किया जावेगा।
 26. संयंत्र में भराने के लिये आए हुए दुग्ध संस्था के ट्रेक्टर-ट्राली/संकलन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर भराया जायेगा।
 27. पशु आहार भरने के लिये आने वाले वाहनों का खाली एवं भरे होने का वजन संयंत्र के तौल कांटे पर किया जाता है। अपरिहार्य कारणों से संयंत्र के तौलकांटे पर वजन न हो पाने की स्थिति में परिवहनकर्ता को स्वयं के व्यय पर खाली एवं भरे ट्रक का वजन अन्य धर्मकांटे पर कराना होगा वजन संयंत्र के सुरक्षाकर्मी/कर्मचारी के समक्ष कराना होगा परिवहनकर्ता द्वारा खाली एवं भरे ट्रक की तौल कांटा पर्ची प्रस्तुत करने के पश्चात् ही विपणन भाखा द्वारा गेट

- पास जारी किया जायेगा। उक्त कार्यवाही में विलम्ब के लिये परिवहनकर्ता/ट्रक ड्रायवर स्वयं जवाबदार रहेंगे।
28. उपरोक्त वर्णित भार्तो का पालन नहीं किया जाता है तो 3 बार परिवहनकर्ता ठेकेदार को पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उसके उपरान्त भी उपरोक्त नियमों/शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में उनका परिवहन ठेका समाप्त कर अमानत राशिराजसात किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
 29. सामान्यतः पशु आहार परिवहन हेतु लगभग 20 मै.टन या अधिक क्षमता के वाहनो की आवश्यकता रहेगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता के अनुसार 10 मै.टन/12 मै. टन/16 मै.टन क्षमता के वाहन भी उपलब्ध कराने होंगे।
 30. पशु आहार लोडिंग हेतु वाहन उपलब्ध कराने के उपरान्त यदि अपरिहार्य कारणों से वाहन नहीं भरा जाता है तो विलम्ब के लिये पशु आहार संयंत्र की जवाबदेही नहीं रहेगी।
 31. गन्तव्य स्थानों की सूची मय दूरी के संलग्न है यदि भविश्य में नये स्थानों पर परिवहन करना होता है तो सबसे नजदीक स्थान की दर को आधार मानते हुये परिवहन दर की गणना की जावेगी तदानुसार वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
 32. अनुबंध में उल्लेखित भार्तो का दृढ़ता के साथ पालन करना अतिआवश्यक है, यदि अनुबंधकर्ता भार्तो का पालन करने में असफल/अनियमित पाया गया तो किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के या बिना कारण दर्शाये अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
 33. समस्त अदालती विवाद ग्वालियर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मंदिर ग्वालियर
(प्रथम पक्ष)

एवं मैसर्स _____ (परिवहनकर्ता) (द्वितीय पक्ष) के मध्य निष्पादित किया जा रहा है।

यह अनुबन्ध द्वितीय पक्ष एवं प्रथम पक्ष के लिये पशु आहार संयंत्र शिवपुरी से एम.पी. सी.डी.एफ. द्वारा ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित को आवंटित विक्रय क्षेत्र तक पशु आहार परिवहन कार्य निर्धारित समयावधि में संपादन किये जाने हेतु है जिसकी नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. कार्य आदेश में स्वीकृत दरें दिनांक से तक के लिये प्रभावशील रहेगा।
2. कार्य आदेश में स्वीकृत परिवहन दरें दिनांक.....की स्थिति में डीजल मूल्य के आधार पर बेसिक दरों के रूप से स्वीकृत है।
3. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात प्रभारी पशु आहार संयंत्र, शिवपुरी के निर्देशानुसार अपना कार्य प्रारंभ करना होगा। साधारणतः संयंत्र से ट्रक में पशु आहार भरने का समय कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहता है, इसके पश्चात् ट्रक अगले दिन ही भरे जावेंगे।
4. यदि विशेष परिस्थितियों में पशु आहार शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों पर तत्काल भेजा जाना है तो उपरोक्त दर्शित समय के उपरान्त प्रबंधन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही वाहन लोड किया जा सकेगा। किसी भी दुग्धशीत केन्द्र/दुग्ध समितियों पर अवकाश के दिन या समय अवधि के पश्चात् (शाम 05 बजे के बाद) पशु आहार प्रदाय करने के लिये परिवहनकर्ता का चयन करने का सर्वाधिकार प्रभारी पशु आहार संयंत्र के पास सुरक्षित रहेगा एवं लिया गया निर्णय मान्य होगा।
5. परिवहनकर्ता को या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को अगले दिन के लिये परिवहन कार्य आदेश प्रातः 11.00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिदिन जो वाहन भेजा जायेगा उसके साथ वह स्वयं या उसके प्रतिनिधि वाहन के साथ आयेंगे। ट्रांसपोर्ट की स्लीप जिस पर गंतव्य स्थान गाडी का नम्बर एवं मात्रा अंकित कर सुरक्षाशाखा में जाकर मेन गेट पर प्रविष्टी करने के उपरान्त ही वे ट्रक लेकर भरने के लिये आयेंगे। उनका प्रतिनिधि विक्रय विभाग में स्लीप लेकर एवं स्लीप पर अंकित मात्रा में ही पशु आहार की बोरी लोड करायेंगे एवं परिवहन परिवहनकर्ता या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि ट्रक लोड होने के उपरान्त कार्यालय के विक्रयशाखा में आकर गेट पास एवं चालान प्राप्ति के बाद सुरक्षा शाखा में गेट पास देकर व हस्ताक्षर कर भरा हुआ वाहन संयंत्र परिसर से बाहर ले जावेंगे। किसी भी स्थिति में भरा हुआ वाहन लोड होने के पश्चात् खड़ा नहीं किया जावेगा। यदि गाडी में अधिक या कम लोड करते पाये जाते हैं तो उसकी जबाबदारी परिवहनकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की होगी एवं परिवहन ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी

परिवहनकर्ता का कोई भी ट्रक ड्रायवर एवं क्लीनर संयंत्र के गोदाम के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा।

6. यदि परिवहनकर्ता स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि प्रातः 11 बजे तक लिखित में कार्य निर्देश प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में परिवहनकर्ता पर ₹0 1000/- (₹0 एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा।
7. संयंत्र से वाहन भराने के पश्चात् तुरन्त दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समितियों में रवाना करना होगा। जिसका समय गेट पर प्रविष्टी के दौरान दर्ज होता है। उक्त वाहन को दुग्ध संस्था तक पहुंचने हेतु उतना समय दिया जायेगा जितना समय दुग्ध संस्था तक पहुंचने में लगता है। देरी की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
8. अगर परिवहनकर्ता के वाहन में किसी कारणवश खराबी आ जाती है उसकी सूचना तत्काल कार्यालय के विपणनशाखा के कर्मचारियों/अधिकारियों को देना है परिवहनकर्ता के वाहन में खराबी का कारण वाहन का स्थान जहाँ वो खड़ा है, एवं कितने समय में वाहन दुग्ध संस्था तक पहुंच जावेगा इसकी जानकारी कार्यालय में देना होगी।
9. परिवहनकर्ता के वाहन का आर0टी0ओ0 से सम्बंधित पंजीयन, बीमा, फिटनश परमिट आदि लोडिंग दिनांक तक वैध होना आवश्यक है।
10. परिवहनकर्ता द्वारा जिस वाहन से माल परिवहन किया जा रहा उसके अन्दर का हिस्सा (डाला एवं बाडी) अच्छी हालत में होना चाहिये यदि पशु आहार ट्रक में भरते समय बोरी फटने कटने की दशा में परिवहनकर्ता को नुकसान का वहन करना होगा।
11. दुग्धशीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों पर श्रमिक परिवहनकर्ता द्वारा जो श्रमिक कार्य पर रखे जाते हैं उन्ही के द्वारा दुग्ध वाहन से दुग्ध की केन लोडिंग अनलोडिंग की जाती है अतः दुग्ध केन लोडिंग अनलोडिंग के पश्चात ही उन्ही श्रमिकों से पशु आहार का वाहन खाली किये जावेंगे। बिलम्ब से पशु आहार अनलोडिंग पर पशु आहार संयंत्र एवं दुग्धशीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों की जबाबदारी नहीं रहेगी।
12. कार्य निर्देश प्राप्त होने के 24 घण्टे के अंदर पशु आहार परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध करा कर लोडिंग पश्चात् वाहन रवाना करना होगा। कुछ दुग्ध शीत केन्द्र/संस्थाओं से पशु आहार की मांग प्राप्त होने के उपरान्त उसी दिन पशु आहार भेजा जाना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में उसी दिन वाहन उपलब्ध कराना जरूरी है। ट्रक उपलब्ध न कराने पर रूपये 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड किया जावेगा। निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पादित न किये जाने की दशा में संघ/संयंत्र द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जा सकती है तथा इस व्यवस्था में अतिशेष भुगतान की राशि परिवहनकर्ता के देयक से वसूली की जावेगी।
13. परिवहन के दौरान मार्ग में किसी भी प्रकार की टूट-फूट, नुकसान, कमी अथवा वर्षा आदि के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए परिवहनकर्ता उत्तरदायी माने जावेंगे तथा क्षतिपूर्ति की राशि उनके परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।
14. यदि लगातार तीन बार परिवहन कार्य सुपुर्दगी आदेश की प्राप्ति के बाद परिवहन हेतु उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसका ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को रहेगा और यह ठेका किसी अन्य परिवहनकर्ता को दिया जा सकेगा एवं परिवहनकर्ता द्वारा जमा की गई अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

15. दुग्ध गीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों से पशु आहार की मांग निश्चित मात्रा में प्राप्त नहीं होती है, इस कारण किसी माह विशेष में परिवहन किये जाने योग्य पशु आहार की मात्रा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है, एवं मांग के अनुसार परिवहन योग्य पशु आहार की मात्रा कम ज्यादा हो सकती हैं।
16. परिवहनकर्ता 1 से 15 तारीख तक के देयक 25 तारीख व 16 से 30/31 तारीख तक देयक 10 तारीख तक पशु आहार संयंत्र विजपुरी कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे। जिसका भुगतान कार्यालयीन औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् प्रति माह किया जावेगा, किसी भी परिस्थिति में भुगतान नहीं होने की दशा में देरी अवधि का कोई ब्याज देय नहीं होगा।
17. अनुबंध की अवधि समान्यतः 2 वर्षों की होगी तदापि परिवहनकर्ता का परिवहन कार्य संतोशजनक पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा उन्ही दरों एवं भातों पर एक-एक वर्ष कर दो वर्ष तक अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि की जा सकेगी
19. गाड़ी की लोडिंग/अनलोडिंग आदि का व्यय ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा।
18. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी परिवहनकर्ता की होगी। इस कारण संयंत्र को हुई हानि की राशि परिवहनकर्ता के देयक से वसूली की जायेगी।
19. निविदाकार या उसके द्वारा लगाये गये वाहन पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों का व्यवहार संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सुरक्षा अधिकारियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण होना चाहिए।
20. परिवहनकर्ता द्वारा इस ठेके के किन्ही निबंधनों एवं भातों का पालन न किये जाने अथवा इनका उल्लंघन किये जाने या उनके द्वारा बीच में ही ठेका समाप्त कर देने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में अग्रिम निविदा की पूर्णता तक परिवहन ठेका द्वितीय निविदाकर्ता को देने के फलस्वरूप भोश ठेका अवधि में होने वाली आर्थिक क्षति की राशि परिवहनकर्ता की अमानत राशि एवं लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।
21. परिवहनकर्ता द्वारा इस ठेके के किन्हीं निबंधनों एवं शर्तों का पालन न किए जाने अथवा इनका उल्लंघन किये जाने या उनके द्वारा बीच में ही ठेका समाप्त कर देने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अमानत की सम्पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में परिवहन ठेका अन्य निकटतम भावदाताओं को देने के फलस्वरूप शेष ठेका अवधि में होने वाली आर्थिक क्षति की राशि परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि एवं लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।
22. प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी डिपॉजिट) के मद में रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) DD No. _____ dated _____ Rs. _____ तथा अर्नेस्ट मनी के रूप में रूपये 50000/- (रूपये पचास हजार मात्र) DD No. _____ dated _____ द्वारा जमा की गई है।
23. ठेका समाप्त होने पर परिवहनकर्ता को प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु लिखित रूप से आवेदन के साथ जमा रसीद की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत

करने के उपरांत परिवहनकर्ता की संयंत्र कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि वापस की जा सकेगी। इस राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

24. अनुबंध अवधि में यदि डीजल की दरों में कमी या वृद्धि होती है, तो दर वृद्धि या कमी की गणना प्रति 9 मै.टन भार के अनुसार की जावेगी।
- | | | |
|---------|----------------|----------------|
| क्रमांक | वाहन का प्रकार | औसत प्रति लीटर |
| 01 | ट्रक, | 04 कि.मी |
- इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल पर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स ऑयल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।
25. परिवहनकर्ता को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान संयंत्र द्वारा नहीं किया जावेगा।
26. दुग्ध गीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों सहित अन्य शासकीय संस्थाओं पर सुदाना पशु आहार पहुंचाने के पश्चात् उसकी हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई पावती सुदाना परिवहन देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही परिवहन देयको का भुगतान किया जावेगा। प्रदाय तिथि से 5 दिवस में माल प्राप्ति की रसीद संस्था में प्रस्तुत न करने पर रूपये 500/- प्रति दिन प्रति पावती जुर्माना कर देयक से कटोत्रा किया जावेगा।
27. परिवहनकर्ता के देयको से भासन के नियमानुसार आयकर एवं अन्य समस्त करों का कटोत्रा किया जावेगा।
28. संयंत्र में भराने के लिये आए हुए दुग्ध संस्था के ट्रेक्टर-ट्राली/संकलन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर भराया जायेगा।
29. प 10 आहार भरने के लिये आने वाले वाहनों का खाली एवं भरे होने का वजन संयंत्र के तौल कांटे पर किया जाता है। अपरिहार्य कारणों से संयंत्र के तौलकांटे पर वजन न हो पाने की स्थिति में परिवहनकर्ता को स्वयं के व्यय पर खाली एवं भरे ट्रक का वजन अन्य धर्मकांटे पर कराना होगा वजन संयंत्र के सुरक्षाकर्मी/कर्मचारी के समक्ष कराना होगा परिवहनकर्ता द्वारा खाली एवं भरे ट्रक की तौल कांटा पर्ची प्रस्तुत करने के पश्चात् ही विपणन भाखा द्वारा गेट पास जारी किया जायेगा। उक्त कार्यवाही में विलम्ब के लिये परिवहनकर्ता/ट्रक ड्रायवर स्वयं जवाबदार रहेंगे।
30. उपरोक्त वर्णित भारों का पालन नहीं किया जाता है तो 3 बार परिवहनकर्ता ठेकेदार को पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उसके उपरान्त भी उपरोक्त नियमों/भारों का पालन नहीं करने की स्थिति में उनका परिवहन ठेका समाप्त कर अमानत राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
31. सामान्यतः प 10 आहार परिवहन हेतु लगभग 20 मै.टन या अधिक क्षमता के वाहनो की आवश्यकता रहेगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता के अनुसार 10 मै.टन/12 मै.टन/16 मै.टन क्षमता के वाहन भी उपलब्ध कराने होंगे।
32. प 10 आहार लोडिंग हेतु वाहन उपलब्ध कराने के उपरान्त यदि अपरिहार्य कारणों से वाहन नहीं भरा जाता है तो विलम्ब के लिये प 10 आहार संयंत्र की जवाबदेही नहीं रहेगी।

33. गन्तव्य स्थानों की सूची मय दूरी के संलग्न है यदि भविष्य में नये स्थानों पर परिवहन करना होता है तो सबसे नजदीक स्थान की दर को आधार मानते हुये परिवहन दर की गणना की जावेगी तदानुसार वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
34. अनुबंध में उल्लेखित भातों का दृढ़ता के साथ पालन करना अतिआवश्यक है, यदि अनुबंधकर्ता भातों का पालन करने में असफल/अनियमित पाया गया तो किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के या बिना कारण दिये अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
35. समस्त अदालती विवाद ग्वालियर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

गवाह:—

1. _____

1. _____

2. _____

2. _____

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

अमानत जमा प्रपत्र
लिफाफा A

पशु आहार संयंत्र शिवपुरी
दो वर्ष हेतु सुदाना परिवहन
ई-निविदा

EMD

निविदाकार का नाम	
अमानत राशि	
ड्राफ्ट संख्या	
बैंक का नाम	
दिनांक	

After online submission of this form, physically submit this form in sealed envelop marked "Envelop-A" alongwith EMD instrument

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

तकनीकी प्रपत्र

लिफाफा B

पशु आहार संयंत्र शिवपुरी
दो वर्ष हेतु सुदाना परिवहन
ई-निविदा

1ण निविदाकार का नाम	:	
2ण निविदाकार का पता		
अ. पंजीकृत कार्यालय	:	
ब. पता	:	
स. फ़ैक्स नम्बर	:	
द. दूरभाष क्रमांक	:	
3. अधिकृत व्यक्ति का नाम	:	
4. पैन नम्बर		
5. जी.एस.टी. नम्बर		
6. निविदाकार के नाम पंजीकृत वाहनों का विवरण	रु	
	वाहन क्र.	झमता

After online submission of this form, physically submit this form in sealed envelop marked "Envelop-B" alongwith copy of documents before opening of bid

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर
दर प्रपत्र
लिफाफाC

दो वर्ष हेतु सुदाना परिवहन
ई-निविदा-पशु आहार संयंत्र शिवपुरी

पशु आहार संयंत्र शिवपुरी से विभिन्न स्थानों पर पशु आहार भेजे जाने के लिये निविदाकार द्वारा दो वर्ष के परिवहन के लिए भरी जाने वाली दरें (रूपये प्रति मैट्रिक टन) इस प्रपत्र में दी जाना है।

क्र.	गन्तव्य स्थानों का नाम	अनुमानित दूरी (कि.मी)	दर(रूपये प्रति मैट्रिक टन)	
			अंको में	वर्दों में
1	शयोपुर	117		
2	वानमोर	200		
3	दतिया	105		
4	डबरा	120		
5	भांडेर	150		
6	दबोह	205		
7	मेहगाँव	175		
8	टीकमगढ़	220		
9	अशोकनगर	150		
10	आगर मालवा	330		
11	गुना	107		
12	नरसिंहगढ़	220		
13	शाजापुर उज्जैन	350		
14	राजगढ़	230		
15	पचोर	250		
16	मनासा	387		
17	मंदसौर	400		
18	रतलाम	466		
19	उज्जैन	438		
20	शामगढ़	329		
21	आलोट	378		
22	मांगलिया (इन्दौर)	366		
23	सिरोंजा सागर	307		
24	बंडोल (सिवनी)	546		
25	कमेड. (रतलाम)	471		
26	मड़ावदा (रतलाम)	462		
27	सरसी (रतलाम)	444		
28	उपलाई (रतलाम)	438		
29	गाजनोद (रतलाम)	438		
30	बिडबाल (रतलाम)	448		
31	बालागुढ़ा (मंदसौर)	440		
32	उमरिया (मंदसौर)	443		
33	चिल्लौद पिपल्या (मंदसौर)	401		
34	बूढ़ा (मंदसौर)	414		
35	जीरापुर (राजगढ़)	260		
36	कराहल (शयोपुर)	78		
37	विजयपुर (शयोपुर)	93		
38	पचामा (सीहोर)	321		